

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक राशिके/वित्त/2019/4273
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/7/19

जिला परियोजना समन्वयक
 जिला शिक्षा केन्द्र
 जिला- समस्त जिले।

विषय :- सहायक परियोजना समन्वयक वित्त की समीक्षा बैठक दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2019 के संबंध में।

जिले में पदस्थ सहायक परियोजना समन्वयक वित्त की समीक्षा बैठक दिनांक 30.07.2019 एवं 31.07.2019 को प्रातः 10.30 बजे से राज्य शिक्षा केन्द्र में आयोजित की गयी है। बैठक में एजेण्डावार जानकारी सहायक परियोजना समन्वयक वित्त उक्त पद रिक्त होने की स्थिति में जिले के लेखापाल को इस समीक्षा बैठक में निम्नांकित तिथियों को एजेण्डानुसार जानकारी (हार्ड एवं साफ्ट कापी) के साथ भेजना सुनिश्चित करें :-

दिनांक	संभाग
30.07.2019	ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग के समस्त जिले
31.07.2019	भोपाल एवं नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग के समस्त जिले

- विगत तीन वर्षों की कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, बालिका छात्रावासों, बालक छात्रावास एवं विकलांग छात्रावासों की छात्रावासवार एवं 31 मार्च की स्थिति में वर्षवार निर्धारित प्रापत्र में एमईआर की हस्ताक्षरित प्रति।
- जिले में संधारित कुल बैंक खातों (जिला, बीआरसी, सीआरसी, डाईट तथा छात्रावासों) का खातावार विवरण एवं अद्यतन स्थिति में तथा 31.03.2019 की स्थिति में अंतिम शेष। किस मद की राशि है इसका विवरण दें।
- सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विभिन्न मदों में माह 2019 तक की हस्ताक्षरित एमईआर।
- राज्य योजना अंतर्गत विभिन्न मदों में 01.04.2018 की स्थिति में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि, वर्ष 2018-19 में उपलब्ध कराई गई राशि, व्यय एवं शेष राशि की हस्ताक्षरित एमईआर।
- पोर्टल पर दर्ज गलत बैंक खातों की शालावार सूची।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के कन्करेंट आडिट की अद्यतन स्थिति।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार अग्रिमों की समीक्षा साथ ही आपके द्वारा 01.04.2018 से आज दिनांक तक किन किन मदों के कितनी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र कन्करेंट आडिटर के माध्यम से समायोजन कराया जा चुका है एवं कितनी राशि के समायोजन हेतु शेष रहे हैं का मदवार विवरण सहित (सामान्य एवं पूंजीगत दोनों मदों का पृथक पृथक)।
- पूर्व वर्षों की लंबित कन्करेंट/ वैधानिक एवं महालेखाकार ग्वालियर की आडिट कंडिकाओं का वर्षवार कंडिका वार जानकारी सहित।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला/विकासखण्ड स्तर से राज्य शिक्षा केन्द्र में जमा कराई गई राशियों का योजनावार पत्र सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना।
- दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में योजनावार सर्व शिक्षा अभियान का सामान्य एवं केपीटल मद का एवं राज्य योजनों का प्रारंभिक शेष।

11. जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर खुले एनपीईजीईएल बैंक खाते बंद होने का प्रमाण पत्र।
12. कतिपय जिलों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में अप्रचलित मदों में राशि का व्यय दर्शित हो रहा है जैसे भोपाल, दमोह, जबलपुर, कटनी, राजगढ़, सागर, सीहोर, सिवनी, टीकमगढ़, एवं विदिशा जिलों में एनपीईजीईएल (बंद योजना) राशि का व्यय दर्शित हो रहा है। उक्त के संबंध में कन्करेंट आडिटर्स के माध्यम से मार्च 2019 की स्थिति में निराकरण की अद्यतन स्थिति लेकर आवे।
13. जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर खुले एनपीईजीईएल एवं केजीबीव्ही के बैंक खाते बंद होने का प्रमाण पत्र।
14. जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर टेली साफ्टवेयर संचालित होने की विकासखण्डवार जानकारी।
15. जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर पीएफएमएस संचालन में आ रही समस्याओं का लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र।
16. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्पिल ओवर की राशि में उपयोग किए जाने योग्य एवं अनुपयोगी राशि की गतिविधिवार हस्ताक्षरित जानकारी।
17. राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी पत्र क्रमांक 219 दिनांक 08.01.2019 अनुसार एनपीएस कटौती के संबंध में चाही गयी विस्तृत जानकारी एवं जमा करायी जाने वाली राशि का विवरण (जिन जिलों द्वारा राशि राज्य कार्यालय में वापिस की गयी है की पूर्ण जानकारी सहित पत्र साथ में लेकर आवे।)

कृपया उपरोक्तानुसार हस्ताक्षरित जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कापी में लेकर उपस्थित होने हेतु सहायक परियोजना समन्वयक वित्त को उक्त पद रिक्त होने की स्थिति में लेखापाल को निर्देशित करें।

(संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित)



नियंत्रक वित्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल, दिनांक 12-7-19

क्रमांक राशिके/वित्त/2019/ 4274
प्रतिलिपि

1. कलेक्टर समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक परियोजना समन्वयक वित्त समस्त जिलों की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार एजेण्डावार अनुसार समस्त जानकारी लेकर बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित हो।
4. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।



नियंत्रक वित्त
राज्य शिक्षा केन्द्र